संख्या-17 / 628 / अड.तीस-5-15-2बजट / 2015

प्रेषकए

राम बहादुर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्ववच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 11 जून, 2015

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2014-15 में पेयजल के विभिन्न कार्यक्रम हेतु प्राप्त केन्द्रांश / राज्यांश की धनराशि के शार्टफाल को अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक-350/ डब्लू बी-568/2015, दिनांक 22.04.2015 एवं तद्संलग्न पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न स्वीकृत आदेशों जिनका विवरण निम्नवत है का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें-

(धनराशि लाख रू0 में)

S. No.	(National Rural Drinking Water Programme- NRDWP) Sanction Number	Sanction Date	Sanctioned Amount
1	W-11022/4/2014/NRDWP/Water/523	16/03/2015	3.44
2	W-11022/4/2014/NRDWP/Water/520	16/03/2015	26.12
3.	W-11020/26/2014/NRDWP/Water/106	21/07/2014	223.80
4.	W-11020/26/2014/NRDWP/Water/205	5/11/2014	14.37
5.	W-11022/4/2014/NRDWP/Water/342	10/12/2014	39.95
6.	W-11020/26/2014/NRDWP/Water/333	5/12/2014	211.75
7.	W-11020/26/2014/NRDWP/Water/438	18/02/2015	95.81
	Total		**615.24**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार भारत सरकार से गत वित्तीय वर्ष 2014-2015 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त केन्द्रांश रू0 615.24 लाख के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश के शार्टफाल के रूप में रू0 507.24 लाख (रूपये पांच करोड़ सात लाख चैबीस हजार मात्र) एवं मैचिंग राज्यांश के शार्टफाल के रूप में रू0 492.76 लाख (रूपये चार करोड़ बानब्बे लाख छिहत्तर हजार मात्र) कुल धनराशि रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान

संख्या-81 में प्राविधानित धनराशि से योजनान्तर्गत निम्नानुसार विभिन्न घटकों में श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	पेयजल कार्यक्रम के विभिन्न घटक	प्राप्त केन्द्रांश	अवमुक्त केन्द्रांश	अवशेष केन्द्रांश का शार्टफाल जो अवमुक्त किया जा रहा है।	अपेक्षित राज्यांश	अवमुक्त राज्यांश	अवशेष राज्यांश का शार्टफाल जो अवमुक्त किया जा रहा है
1	Sustainability	59.31	11.74	47.58	0.00	0.00	0.00
2	Quality	118.64	23.48	95.16	118.64	8.78	109.86
3	O&M	88.98	17.61	71.37	88.98	6.59	55.22
4	Coverage	278.80	55.17	223.62	278.80	20.63	258.17
5	Water Quality Focus Funding (Bacteria)	66.07	0.00	66.07	66.07	0.00	66.07
6	Water Quality Focus Funding (Chemical)	3.44	0.00	3.44	3.44	0.00	3.44
	Total	**615.24**	**108.00**	**507.24**	**555.93**	**36.00**	492.76

3- उपरोक्तानुसार केन्द्रांश व राज्यांश की स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन है:-

I. धनराशि का व्यय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त स्वीकृत आदेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

II. एन0आर0डी0डब्लू0पी0 के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में अवमुक्त केन्द्रांश /राज्यांश की धनराशि के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

III. उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार यथावश्यक प्रोगाम एकाउन्ट में जमा की जायेगी एवं निर्धारित अवधि में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

IV. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित दिशा-निर्देशों तथा योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार / विश्व बैंक के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए धनराशि का व्यय किया जायेगा।

4- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उपर्युक्तानुसार प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि रू0 1000 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01- जलपूर्ति -796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना -01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

http://shasanadesh.up.nic.in

-01- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.) (के.50/रा.50-के.+रा.)-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231 /2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम बहादुर)
सचिव।

संख्याः 628 (1)/अड़तीस-5-15, तददिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, 9वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
3. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा ।
10. महाप्रबन्धक, झांसी डिवीजन जल संस्थान झासी।
11. नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
12. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
13. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
14. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

http://srasanadesh.up.nic.in